



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2015/माघ 21, 1936

No. 333]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2015/MAGHA 21, 1936

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2015

का.आ. 423(अ).—केन्द्रीय सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 3 के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना द्वारा पहले से ही खनिज घोषित खनिजों के अतिरिक्त निम्नलिखित खनिजों को इससे पूर्व उक्त खंड के अधीन गौण खनिज घोषित करती है :

(i) अगेट ;

(ii) बॉल क्ले

(iii) बैराइट्स

(iv) कैल्केरियस सैण्ड ;

(v) कैल्साइट ;

(vi) चॉक ;

(vii) चिनी मिट्टी ;

(viii) अन्य क्ले ;

(ix) कोरुण्डम ;

(x) डायस्पोर ;

(xi) डोलोमाइट ;

(xii) ट्रानाइट अथवा पायरोसेनाइट ;

(xiii) फेलसाइट ;

(xiv) फेल्सपार ;

(xv) अग्निसह मृत्तिका ;

(xvi) फुस्काइट क्वार्टजाइट ;

(xvii) जिप्सम ;

(xviii) जस्पर ;

(xix) कयोर्लिन ;

(xx) लेटेराइट ;

(xxi) चूना कंकड़ ;

(xxii) अभ्रक ;

(xxiii) ऑकर ;

(xxiv) पाइरोफाइलाइट ;

(xxv) क्वार्टज ;

(xxvi) क्वार्टजाइट ;

(xxvii) बालू (अन्य) ;

(xxviii) शेल ;

(xix) सिलिका बालू ;

(xxx) स्लेट ; और

(xxxix) स्टोटाइट अथवा टैल्क अथवा सोपस्टोन ;

[फा. सं. 5/1/2015-एम.VI]

आर. श्रीधरन, अपर सचिव

**MINISTRY OF MINES****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th February, 2015

**S.O. 423(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (e) of section 3 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby declares the following minerals to be minor minerals in addition to the minerals already declared by notification as minor minerals hereinbefore under the said clause:

- (i) Agate;
- (ii) Ball Clay;
- (iii) Barytes;
- (iv) Calcareous Sand;
- (v) Calcite;
- (vi) Chalk;
- (vii) China Clay;
- (viii) Clay (Others);
- (ix) Corundum;
- (x) Diaspore;
- (xi) Dolomite;
- (xii) Dunite or pyroxenite;
- (xiii) Felsite;

- (xiv) Felspar;
- (xv) Fireclay;
- (xvi) Fuschite Quartzite;
- (xvii) Gypsum;
- (xviii) Jasper;
- (xix) Kaolin;
- (xx) Laterite;
- (xxi) Limekankar;
- (xxii) Mica;
- (xxiii) Ochre;
- (xxiv) Pyrophyllite;
- (xxv) Quartz;
- (xxvi) Quartzite;
- (xxvii) Sand (Others);
- (xxviii) Shale;
- (xxix) Silica Sand;
- (xxx) Slate; and
- (xxxii) Steatite or Talc or Soapstone.

[F. No. 5/1/2015-M. VI]

R. SRIDHARAN, Addl. Secy.